(5)

order Sheet [Contd]

प्रवक्0

99 /13 SPE

te of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

12-11-16 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / कनिष्ठ यंत्री कार्री भ अपने देन सहित उनके अधिवक्ता श्री १००० के वास्त्र प्राप्त ।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री व्यंती श्री उप0 / आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्यु विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिंहत धारा 152 विद्युत अंधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखाग्रार भेजा जावे।

स्वान अर्पाट्ट । इसे भीरम- अर्पाट्ट । हम्बा-

डी०सी०थपितयाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०—19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोडव जिला भिण्ड

क्षिमाम क्षेत्र एउ

me

Q12 11-16

Csevil Shoras